

# DHANBAD MUNICIPAL CORPORATION

झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम-2011 की धारा 152 (3) के अन्तर्गत स्वनिर्धारित किये गये सम्पत्ती कर की सूचना।

Memo No. : 145885280618062202

Date : 28-06-2018


प्रभावी : 1 2016-2017

श्री/श्रीमती/सुश्री KALAWATI DEVI W/O BUDHU PASWAN,

मोहल्ला KOLAKUSMA BASTI DHANBAD DHANBAD , 7870896250  
DHANBAD , 826001

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपका नया गृह सं. - 0230003216000M0 वार्ड सं. 23 हुआ है, आपके स्व. निर्धारण घोषणा पत्र के आधार पर वार्षिक किराया मूल्य 0/- रु. निर्धारित किया गया है। इसके अनुसार प्रति तिमाही कर निम्न प्रकार होगा।

स्व-निर्धारित कर की सूचना		
क्रम सं.	Particulars	Amount (In Rs.)
1.	गृह कर	50.00
2.	जल कर	0.00
3.	शींचालय कर	0.00
4.	बिजली कर	0.00
5.	अतिरिक्त गृह कर (वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण)	0.00
कुल राशि (प्रति तिमाही)		50.00



To be signed by the Applicant

नोट:-

1. कर निर्धारण की सूची, DHANBAD MUNICIPAL CORPORATION Website [www.dhanbadsuda.net](http://www.dhanbadsuda.net) पर प्रदर्शित है।
2. नियमावली कंडिका 11.4 के भागक में वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण अतिरिक्त गृह कर लगाया जायेगा जो सम्पत्ति कर का 50% होगा। हिदायत दी जाती है कि, वर्षा जल संरक्षण संरचना लगा कर निगम को सूचित करें तथा अतिरिक्त गृह कर से राहत पायें।
3. प्रत्येक वित्तीय वर्ष में सम्पत्ति कर का भुगतान त्रैमासिक देय होगा।
4. यदि किसी वर्ष के लिए सम्पूर्ण घृति कर का भुगतान वित्तीय वर्ष के 30 जून के पूर्व कर दिया जाता है, तो करदाता को 5% की रियायत दी जाएगी।
5. किसी देय घृति को निर्दिष्ट समयवधि (प्रत्येक तिमाही) के अन्दर या उसके पूर्व नहीं भुक्ताना जाता है, तो 1% प्रतिमाह की दर से सारधारण व्याज देय होगा।
6. यह कर निर्धारण आपके स्व-निर्धारण एवं की गई घोषणा के आधार पर की जा रही है, इससे निगम स्व-घोषणा पत्र की स्थानीय जांच यथा समय निगम करा सकती है एवं तथ्य शकत प्राप्त करने पर निगमावली कंडिका 13.2 के अनुसार निर्धारित शर्तें (Fine) एवं संपर राशि देय होगा।
7. DHANBAD MUNICIPAL CORPORATION द्वारा मंगदित इन सम्पत्ति कर इन इलाक़ों में कोई कानूनी हैसियत प्रदान नहीं करता है और/या न ही अपने मालिकों / दखलदार को कोई कानूनी अधिकार प्रदान करता है।
8. अगर आपके नय होल्डिंग नमों का आखिरी अंक 5/6/7/8 है तो यह विशिष्ट संरचनाओं की धारा के अन्तर्गत माना जायेगा।

**NOTE : This is a Computer generated receipt. This receipt does not require physical signature.**